सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-83
19/02/2016

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भूमि तथा अन्य संपतियों के निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्घाटन किया

पटना, 19 फरवरी 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में भूमि तथा अन्य संपतियों के निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्घाटन किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना के समस्त निबंधन कार्यालयों के विलेखों के ऑनलाइन प्रवृष्टि एवं शुल्क जमा करने की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ संस्था/फर्म का आवेदन एवं शुल्क जमा करने की वैकल्पिक व्यवस्था के उद्घाटन से अब भूमि तथा अन्य संपतियों का निबंधन संबंधित बिक्रेता एवं क्रेता अपने घर बैठे पूरी कर सकते हैं।

प्रधान सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध श्री के0के0 पाठक ने बताया कि इस प्रक्रिया के सरलीकरण से आम जनता को यह राहत मिलेगी कि वह दस्तावेजों के निबंधन से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कर सकते हैं। स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद संबंधी आवेदक अपने रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख एवं समय अपनी सुविधानुसार कम्प्यूटर के माध्यम से चुन सकेंगे और निर्धारित तिथि को दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होकर निबंधित करा पायेंगे। फिलहाल प्रथम चरण में भूमि एवं अन्य संपति का निबंधन पटना जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है। डेढ़ से दो माह में यह प्रक्रिया पूरे राज्य में लागू कर दी जायेगी। जिससे कि पूरे राज्य की जनता भूमि एवं निबंधन संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करा सके।

प्रधान सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध श्री के0के0 पाठक ने बताया कि इस प्रक्रिया से आम जनता को यह राहत मिलेगी कि वह निबंधन हेतु नकद भुगतान करने के लिये उन्हें लंबे समय तक बैंक काउंटर में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही निबंधन कार्यालय में भी समय की बर्बादी नहीं होगी। संबंधित क्रेता एवं बिक्रेता को यह भी छूट रहेगी कि अब वह डीड, राइटर अथवा वकीलों के माध्यम से न आकर मॉडल पेपर में सीधे अपना दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से भेजकर विधिवत रजिस्ट्री एवं स्टाम्प शुल्क जमा कर रजिस्ट्री ऑफिस में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आम जनता को बैंक अथवा रजिस्ट्री कार्यालय में लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना होगा। डीड, राइटर एवं वकीलों पर निर्भरत नहीं रहेगी।

प्रधान सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध श्री के0के0 पाठक ने बताया कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आज ही पूरे राज्य में ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत जो व्यक्ति किसी संस्था को बिहार में पंजीकृत कराना चाहते हैं तो वह संबंधित आवेदन ऑनलाइन जमा करके सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, इसके लिये उन्हें विभाग में आने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान, जल संसाधन तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री राजीव रंजन

सिंह उर्फ ललन सिंह, शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री श्री जयकुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध श्री के0के0 पाठक, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

******